न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 51/2021 दायर दिनांक–22.02.2021

1. नत्थू पुत्र भगवाना जाति माली निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0।
2. हणमान पुत्र भगवाना जाति माली निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0।

– वादीगण

बनाम

1. बनारसी देवी पत्नी बोदू
2. राधेश्याम पुत्र बोदू
3. किशनलाल पुत्र भगवाना
4. धनश्याम पुत्र भगवाना
5. चन्द्रकला पुत्री मक्खन
6. मंजू पुत्री मक्खन
7. प्रकाश पुत्र मक्खन
8. मनिष पुत्र मक्खन
9. बाली देवी पत्नी मक्खन

   जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।
10. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज0।
11. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

वकील प्रतिवादीगण :– श्री किशोर कुमार जांगिड़

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–22–04–2021

वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 1462 रकबा 0.74 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वाद की विषयवस्तु है, उक्त आराजी को आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार है

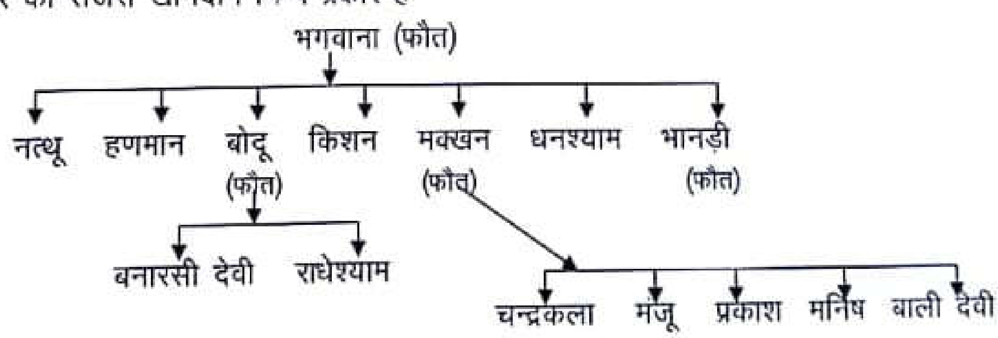

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी वादीगण के पिता भगवाना के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि थी। वादीगण के पिता भगवाना के फौत होने पर वादग्रस्त का राजस्व अभिलेख वादीगण की माता भानडी पत्नी भगवाना, वादी संख्या 1 नत्थू, वादी संख्या 2 हणमान, प्रतिवादी संख्या 1 के पति, प्रतिवादी संख्या 2 के पिता बोदू, प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल, प्रतिवादी संख्या 4 धनश्याम व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के पति मक्खन के नाम से बना, सही बना जिसकी जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 बनी है।

उक्त जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 बनी जिसमें "भानडी बेवा नत्थू, हणमान, बोदू, मक्खन, किशन, धनश्याम पिता भगवाना हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार" दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में भानड़ी बेवा भगवाना के स्थान पर भानड़ी बेवा नत्थू गलत दर्ज कर दिया जो राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक दर्ज किया है तथा आगे इसी अनुसार गलत राजस्व अभिलेख बनता रहा है।

स्व0 भगवाना की मृत्यु के पश्चात् उनकी सम्पति उनके छः पुत्र व पत्नी भानड़ी देवी में न्यागत हुई तथा सभी को 1/7–1/7 हिस्सा प्राप्त हुआ। वादीगण की माता भानड़ी देवी का दिनांक 04.05.2013 को स्वर्गवास हो चुका है। भानडी के वारीस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ही है। अर्थात् भानड़ी देवी की मृत्यु के रोज से ही वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा वादी संख्या 1 का व, 1/6 हिस्सा वादी संख्या 2 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का हो गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि को रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख पत्र दिनांक 09.07.2014 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में हकत्याग कर दिया है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/6 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार हो गया है। इसलिये वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 को शामिल में 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी का राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावें जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।

वादीगण को उपरोक्त गलत राजस्व अभिलेख की पूर्व मे कभी कोई जानकारी नहीं रही है। वादीगण को माह जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री किशन निधि पेशन योजना की जानकारी मिली जिसमें आवेदक के लिए अपने कब्जे काश्त की भूमि की जमाबन्दी की कोपी प्राप्त की तो वादीगण को जमीन के राजस्व अभिलेख गलत दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई जिसके पश्चात् तहसील कार्यालय नवलगढ़ के रिकॉर्ड रूम से आवश्यक चौसाला जमाबन्दी की नकले प्राप्त की और सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् वादीगण की ओर से उक्त वाद श्रीमान् जी की सेवामें पेश है।

उक्त वाद के लिए वादकारण वादीगण को माह जनवरी, 2021 में राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने पर गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है।

वादग्रस्त आराजी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है एंव वाद में चाहा गया अनुतोष खातेदारी अधिकारो की घोषणा का होने से उक्त वाद सुनने का श्रीमान्जी को पूरा–पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अनुतोष चाहा है कि ग्राम झाझड तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1462 रकबा 0.74 हैक्टर में वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 को शामिल में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावें एंव प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के रहन दर्ज है जिसके रहन रखा आवें। राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश किया जावें।

स. टी. ई. एम. (सा. है.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 लगायत 9 व 11 की सम्यक रूप से तलबी होने के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

तत्पश्चात पक्षकारान के मध्य उनवानी वाद में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया। पक्षकारान् द्वारा लिखित मे राजीनामा दिनांक 09.04.2021 को अदालत हाजा मे उपस्थित होकर पेश किया गया। उक्त राजीनामें को तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा वाद में डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया चूंकि पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने व राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निम्नानुसार सहायता चाही गई है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1462 रकबा 0.74 हैक्टर में वादी नम्बर 01 का 1/6 हिस्सा वादी नम्बर 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 03 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 9 का हिस्सा 1/6 है तथा इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

:: आदेश ::

वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम झाझड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1462 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि में वादी नम्बर 01 को 1/6 हिस्सा, वादी नम्बर 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 03 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 4 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 9 को 1/6 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

दमयंती कंवर (आर0ए0एस0) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकॉड

मुकदमा सं0:– 51 / 2021 (नत्थूसिंह आदि बनाम बनारसी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.04.2021 निर्णयानुसार राजस्व राजस्व ग्राम झाझड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1462 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि में वादी नम्बर 01 को 1/6 हिस्सा, वादी नम्बर 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 03 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 4 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 9 को 1/6 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 22 माह 04 सन 2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा0ट्रे0) नवलगढ
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:13 IST
Reason: SelfAttested